भी हैं तो उसके पास ऐसा कोई शासनादेश नहीं होता कि वह तत्काल उसे किसी एक या अधिक एजेंसियों तक पहुंचा सके। ऐसे संबंधों के बारे में जिस एजेंसी को सूचना प्राप्त होती हैं, वह इस बात से भी आशंकित होती हैं कि इस प्रकार सूचना प्रदान करने से वक्त से पूर्व इसके लीक हो सकने की वजह से इसके अपने कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हैं। संक्षेप में, फील्ड में वर्तमान में कार्यरत विभिन्न एजेंसियां यह सावधानी बरतती हैं कि अपने कार्यक्षत्र की ड्यूटियों, जिनके अंतर्गत उनके संगठन से संबंधित कानूनों के उल्लघंन से निपटाना होता हैं, पर ही ध्यान केन्द्रित करें और ऐसे संबंधों के बारे में जो सूचना उन्हें मिलती हैं, उसे जानबूझ कर एक तरफ कर दें,

(ग) से (ड़) उपरिल्लिखित निष्कर्षो के मद्देनजर बोहरा समिति ने विभिन्न आसूचना एजेन्सियों के सूचना/आसूचना एकत्र करने और मिलाने के लिए तथा शिनाख्त शुदा संगठनों के माध्यम से कार्य करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक नोडल एजेंन्सी स्थापित करने की सिफारिश की ताकि राजनीतिज्ञों, नौकरशाह और व्यापारियों के साथ अपराधियों का गठजोड़ समाप्त हो जाये। तद्नुसार 2.8.95 को गृह सचिव की अध्यक्षता में सचिव (राजस्व), सचिव (रा0), निदेशक (आ0 ब्यूरो) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर एक नोडल ग्रुप की स्थापना की गयी। मंत्रिमंडल सचिव द्वारा इसके अध्यक्ष. का पद सम्भालने के साथ गृह सचिव, सचिव (राजस्व), सचिव (रा0), निदेशक (आ0ब्यूरो), निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर 5.1.96 को इस नोडल ग्रुप का पुर्नगठन किया गया।

बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों ने अनुपालन में गृह सचिव को अध्यक्ष तथा सदस्य (जांच-हड़ताल), सी0 बी0 डी0 टी0, महानिदेशक (राजस्व आसूचना), निदेशक (प्रवर्तन) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरों) को सदस्य और सचिव (कार्मिक और प्रशिक्षण) सचिव (राजस्व), सचिव (रा.) और निदेशक (आ0 ब्यूरो) को विशेष आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में लेकर नोडल ग्रुप का जनवरी, 1998 में पुनर्गठन किया गया। नोडल ग्रुप की बैठक प्रत्येक माह होती हैं जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिए हैं।

स्वतंत्रता सेनानी-पेंशन

1148. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई पेंशन राशि में कोई भिन्नता हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन राशि में वृद्धि की हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी में समानता लाने का विचार कर रही हैं, और

(ड़) क्या सरकार इस संबंध में समानता लाने का विचार कर रही हैं, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) राज्य सरकारों द्वारा अपने राजस्व के वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उपलब्ध पेंशन की राशि में एक रूपता नहीं हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय स्तर पर इस संबंध में ब्यौरे नहीं जाते हैं।

(ड़) और (च) जी, नहीं। केन्द्र सरकार का संबंध स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्रदान करने से हैं। अपनी योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं।

Increase in Crime Rate in the Country

1149. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the crime rate all over the country, in general, and particularly in metro cities has considerably gone up;

(b) if so, the details of such cases during the last two years, city-wise separately;

(c) in how many cases the criminals have been booked; and

(d) the steps taken by Government to check crime rate in the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (c) According to available information, the crime rate (cases per lakh of population) at All-India level has declined from 183.4 in 1996 to 181.3 in 1997.

A statement indicating the incidence of cognizable crime in major cities of the country during the years 1996 and 1997 is enclosed (Statement-I) (see below). Information in regard to cases

chargesheeted is given in the Statement-II (see below).

(d) 'Public Order' and 'Police' are State subjects as per the Constitution of India. As such, the registration, investigation, detection and prevention of crime is primarily the responsibility of the State Governments. However, the Government of India has been providing financial assistance to the State Governments for improving their policing infrastructure. The Central Government also shares intelligence with the State Governments and sends them advisories from time to time.

Statement—I

City-wise Incidence and Rate of total Cognizable Crimes during 1996 and 1997

s. No.	City	1996		1997	
		Incidence	Rate	Incidence	Rate
1.	Ahmedabad	15244	400.10	16928	432.94
2.	Bangalore	28875	580.99	30601	595.35
3.	Bhopal	7712	554.82	9469	648.56
4.	Bombay	32503	205.85	32654	198.14
5.	Calcutta	12395	102.10	11274	91.21
6.	Coimbatore	3268	270.08	4363	354.72
7.	Delhi (City)	54199	524.17	55825	519.79
8.	Hyderabad	9154	158.37	11060	181.61
9.	Indore	9025	694.23	8581	645.19
10.	Jaipur	13418	713.72	NA	.00
11,	Kanpur	5704	250.18	6266	270.09
12.	Kochi	4276	285.07	4901	312.17
13.	Lucknow	5514	252.94	6064	263.65
14.	Ludhiana	1194	85.90	1462	99.46
15.	Madras	6143	100.05	7607	120.94
16.	Madurai	4016	337.48	3697	303.03
17.	Nagpur	9329	491.00	8895	458.51
18.	Patna	4971	410.83	5405	439.43
19.	Pune	9569	311.69	10455	326.72
20.	Surat	4899	246.18	5058	240.86
21.	Vadodara	6924	491.06	6870	467.35
22.	Varanasi	1888	160.00	1541	127.36
23.	Vishakapatnam	2837	198.39	2979	197.28

SOURCE: Crime in India Data

NOTE: 1. NA Stands for Data Not Available
2. Figures of 1997 are provisional.
3. Chargesheeted cases include cases carried over from previous years.

Statement-II

City-Wise cases resulted in chargesheeting during 1996 and 1997

s. No.	City	Year	
		1996	1997
1.	Ahmedabad	10625	12067*
2.	Bangalore	15370	13294
3.	Bhopal	5740	7035
4.	Bombay	17064	1*284
5.	Calcutta	2591	3110
6.	Coimbatore	2663	2827
7.	Delhi (City)	30653	24681
8.	Hyderabad	1401	2847
9.	Indore	6056	5728
10.	Jaipur	6700	NA
11.	Kanpur	3178	3540
12.	Kochi	4406	4011
13.	Lucknow	2899	2819
14.	Ludbiana	751	932
15.	Madras	5785	6252
16.	Madurai	3246	2603
17.	Nagpur	5401	4545
18.	Patna	4879	3284
19.	Pune	7406	7534
20.	Surat	2978	2170
21.	Vadodara	4776	4567
22.	Varanasi	979	734
23.	Vishakhapatnam	2019	1673

SOURCE: Crime in India Data

NOTE: 1. NA Stands for Data Not Available.
2. Figures of 1997 are provisional.
3. Chargesheeted cases include cases carried over from previous years.

Annual Expenditure on VIP Security

1150. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the annual expenditure incurred by Government during the last three years on VIP and VVIP security (category-wise);

(b) whether Government have a proposal to review the security measures of all the VIPs in the country; and

(c) if so, the steps taken thereon?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) The expenditure incurred by the Delhi Police/SPG on VIP and VVIP security during the last three years was as follows:—

(Rs. in crores)

Year	Delhi Police	SPG
1995-96	27.58	32.89
1996-97	34.23	37.49
1997-98	40.68	43.34